प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम निदेशालय
खादी और ग्रामोद्योग आयोग,
3, इर्ला रोड, विले पार्ले (प.), मुंबई-400056

संख्या : पीएमईजीपी/नीति/विधिक/2024/

दिनांक : 16.07.2024

परिपत्र

विषय : केवीआईसी का पंजीकृत ट्रेड मार्क होने के कारण "खादी" शब्द का पीएमईजीपी इकाइयों द्वारा ट्रेड नाम के भाग के रूप में उपयोग करने पर प्रतिबंध के संबंध में।

यह विधिक मामलें निदेशालय द्वारा जारी अनुदेश से संदर्भित है, जिसमें यह उल्लेख है किया गया है कि "खादी" शब्द केवीआईसी का पंजीकृत ट्रेड मार्क है। अतः किसी भी अन्य व्यक्ति या इकाई को अपने ट्रेड/व्यापार नाम के भाग के रूप में "खादी" शब्द के उपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

2. केवीआईसी के ट्रेड मार्क परामर्शदाता/अधिवक्क्ता के साथ हाल ही में हुई बैठक के दौरान, सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि केवीआईसी द्वारा इकाई का पीएमईजीपी पंजीकरण प्रमाणपत्र का तब तक नवीनीकरण नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि इकाइयां अपने ट्रेड/व्यापार नाम से "खादी" शब्द न निकाल दें।

3. इसके अलावा, सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश/मंडलीय कार्यालयों को यह भी लागू करने हेतु अनुदेश दिया गया है कि यदि पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत ऋण हेतु आवेदन करने वाली किसी भी इकाई के नाम में एक भाग के रूप में "खादी" शब्द निहित हो, तो जब तक इकाई के नाम में परिवर्तन नहीं हो जाता, तब तक उसका पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाना चाहिए। उसी प्रकार, वे इकाइयां जिनके ट्रेड/व्यापार नाम में "खादी" शब्द निहित है और उन्हें पूर्व में ही पीएमईजीपी प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं, उनके प्रमाणपत्र तब तक नवीनीकृत नहीं किए जाए, जब तक कि वे अपने ट्रेड/व्यापार नाम से "खादी" शब्द न निकाल दें।

इसे अति आवश्यक समझा जाए और इसका गंभीरतापूर्वक अनुपालन किया जाए।

यह परिपत्र सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

16/7/2024

(मनीष एम. कांबले)
निदेशक (पीएमईजीपी)

प्रति,

1. खादी और ग्रामोद्योग आयोग के सभी राज्य/मंडलीय कार्यालय।
2. सभी राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड।
3. खादी और ग्रामोद्योग आयोग के सभी आंचलिक उप-मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
4. सभी निदेशक, उद्योग, राज्य सरकार।
5. सचिव, कयर बोर्ड, कयर हाउस, एम.जी.रोड, कोची-682016
6. मुख्य प्रबंध निदेशक, सभी बैंक।

प्रतिलिपि,

1. संयुक्त सचिव, एमएसएमई मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. ओएसडी, अध्यक्ष, केवीआईसी।
3. ओएसडी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
4. संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, केवीआईसी, मुंबई।

5. ओएसडी, मुख्य सतर्कता अधिकारी प्रकोष्ठ, केवीआईसी, मुंबई।
6. ओएसडी, वित्तीय सलाहकार प्रकोष्ठ, केवीआईसी, मुंबई।
7. सभी उप-मुख्य कार्यकारी अधिकारी, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई।
8. सभी आंचलिक उप-मुख्य कार्यकारी अधिकारी, केवीआईसी।
9. सभी उद्योग/कार्यक्रम निदेशक, केवीआईसी, मुंबई।
10. निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी)-केवीआईसी/पीएमईजीपी वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
11. रिकॉर्ड हेतु मूल पत्रावली।